राजस्थान सरकार,
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांकः– प.3( )निकृवि / रावतसर / निजी उपमण्डी पल्लू / 2014 / 419 दिनांक 08/04/2015

निजी उपमण्डी यार्ड के संचालन के लिये निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश

Operating Procedures for Private Sub Market Yard

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5–ए एंव कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 56(ए) के तहत् निजी उपमण्डी यार्ड स्थापना हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्तकर्ता तथा संबंधित मण्डी, जिसके क्षेत्राधिकार में निजी उपमण्डी यार्ड स्थापना हेतु अनुज्ञापत्र प्रदत्त किया गया है, के द्वारा यार्ड में व्यापार संचालन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिये निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है। ये दिशा निर्देश जारी किये जाने की दिनांक से स्थापित होने वाली सभी निजी उपमण्डी यार्डो पर लागू होंगे तथा निजी उपमण्डी यार्ड का संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व इनकी पालना के लिये सहमति स्वरूप निजी मण्डी यार्ड प्रवर्तक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि एवं निदेशक की ओर से संबंधित कृषि उपज मण्डी के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

क. परिभाषायें:– इस प्रकिया में जब तक प्रसंग या विषय में कोई बात विपरीत न हों:–

1. अधिनियमः– से तात्पर्य राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 से है।
2. नियमः– से तात्पर्य राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 से है।
3. कृषि उपजः– से तात्पर्य उस उपज से है जो कि राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 2(I) के तहत जारी अनुसूची में अंकित है एवं अन्य वह सभी कृषि उपज जो समय–समय पर सरकार द्वारा घोषित की जावें।
4. मण्डी समितिः– से तात्पर्य संबंधित कृषि उपज मंडी समिति से है, जिसके की मण्डी क्षेत्र में निजी उपमण्डी यार्ड की स्थापना की अनुज्ञप्ति दी गई है।
5. सचिव :– से तात्पर्य संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के सचिव से है।
6. निजी उपमण्डी यार्ड से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिए निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया है ।
7. प्रवर्तक :– से तात्पर्य निजी मण्डी यार्ड के अनुज्ञापत्रधारी से है।
8. सूचना पट्ट :– से तात्पर्य उस पट्ट से है जो मण्डी समिति द्वारा प्रकाशित सूचनाओं आदेशों एवं विज्ञप्तिओं की जानकारी के लिये उपमण्डी यार्ड कार्यालय में अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लगाया गया हो।
9. कार्यालय स्थानः– मण्डी समिति का मुख्य कार्यालय जिसके मण्डी क्षेत्र में निजी गौण मण्डी की स्थापना से होगा।
10. ये शब्द एवं अभिव्यक्तियॉ जो राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 व उसके अन्तर्गत बनाये गये, नियमों में प्रयुक्त और जिनकी परिभाषा इन उपविधियों में नही दी गई है उसका तात्पर्य वही है, जैसा कि उक्त अधिनियम एवं नियमों में दिया गया है।

ख. निजी उपमण्डी यार्ड प्रवर्तक के कर्त्तव्य एवं दायित्व :–

1. निजी उपमण्डी यार्ड में मण्डी समिति को न्यूनतम दो कमरों का आवश्यक सुविधायुक्त कार्यालय मय फर्नीचर उपलब्ध कराना होगा। जिसका कोई किराया मण्डी समिति द्वारा देय नहीं होगा एवं विद्युत, पानी के खर्चे प्रवर्तक फर्म द्वारा स्वयं वहन करने होंगे।
2. निजी उपमण्डी यार्ड में दुकान/भूखण्ड का विक्रय कृषि जिन्सों के व्यापार हेतु इच्छुक किसी भी ऐसे व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या व्यवसायिक ईकाई को किया जा सकेगा जो मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखता हो।
3. निजी उपमण्डी यार्ड में चिन्हित सभी दुकानों, गोदामों आदि अन्य सभी परिसम्पत्तियों की एक पंजिका संलग्न प्रारूप के अनुसार संघारित करनी होगी एवं उसमें परिसम्पत्ति क्रेता/किरायेदार के स्वामित्व, अनुज्ञप्ति तथा व्यापार आदि का विवरण होगा।
4. निजी उपमण्डी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दुकान/भूखण्ड विक्रय की 7 दिवस में सूचना आवश्यक रूप से संबंधित कृषि उपज मंडी के सचिव को दी जायेगी एवं दुकान/भूखण्ड क्रेता को व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित मण्डी समिति से नियमानुसार अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा।
5. यदि यार्ड में किसी भूखण्ड/दुकान का पुनः विक्रय किया जाता है एवं विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली गई हो तो विक्रय करार के साथ ही उसे संबंधित मण्डी समिति को समर्पित करना होगा । ऐसे भूखण्ड/दुकान के क्रेता को व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक अनुज्ञप्ति संबंधित मण्डी समिति से लेनी होगी।
6. निजी उप मंडी यार्ड के अनुमोदित नक्शें में निर्धारित भू–उपयोग के ईतर यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूखण्ड का आवंटन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक या अधिकृत प्रतिनिधि से पूर्व में लिखित में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी यार्ड में नियोजित कार्मिकों के कृत्यों–कार्यो/आचरण के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होगा एवं कार्मिकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी लिखित सूचना आगामी कार्य दिवस को मण्डी समिति कार्यालय को देनी होगी।
8. निजी उप मंडी यार्ड के अनुज्ञापत्रधारी को यार्ड हेतु तत्समय प्रभावी सहकारी अधिनियम, आयकर, सेवाकर, स्थानीय कर एवं अन्य किसी भी प्रकार के अधिनियमों, नियमों के विधिक प्रावधानों के तहत प्रवर्तक अनुज्ञापत्रधारी फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक होगा एवं इनके तहत् आने वाली समस्त दायित्वों को स्वयं वहन करना होगा।
9. अनुज्ञापत्रधारी को विधि अनुरूप तय समय सीमा के 15 दिवस की अवधि में लेखों एवं वार्षिक रिपोर्ट की अंकेक्षित प्रति निदेशक एवं संबंधित मंडी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. निजी उपमण्डी यार्ड की प्रवर्तक अनुज्ञापत्रधारी फर्म माह के दौरान यार्ड मे हुये जिन्स वार कुल व्यापार संव्यहवारों की मासिक रिटर्न जिसमें आवक, मूल्यांकन एवं देय मण्डी शुल्क तथा मण्डी प्रांगण में नियम 58 के तहत आने वाले माल की सूचना हो, आगामी माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से मुख्य मण्डी कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।
11. निजी उपमण्डी यार्ड की प्रवर्तक अनुज्ञापत्रधारी फर्म को गत वित्त वर्ष के अधिकतम मण्डी शुल्क उद्ग्रहण के कोई भी तीन माह की मण्डी शुल्क राशि के बराबर की प्रतिभूति राशि किसी भी

अनुसूचित बैंक की गारन्टी के रूप में न्यूनतम 15 माह की अवधि के लिये निदेशक को प्रतिवर्ष अप्रेल माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि किसी भी दशा में 15 लाख रू. से कम नहीं होगी। बैंक गारन्टी की राशि का निर्धारण गत वित्त वर्ष में उद्ग्रहित मण्डी शुल्क की राशि के आधार पर उक्तानुसार प्रतिवर्ष किये जाने हेतु आवश्यक मण्डी शुल्क के आंकडे प्रवर्तक द्वारा संबंधित मण्डी समिति से सत्यापित करवाकर निदेशक को भिजवाने होंगे।

12.प्रवर्तक अनुज्ञापत्रधारी फर्म निजी उप मंडी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारियों/व्यापारियों से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मण्डी फीस नियंत्रक मण्डी समिति के अनुरूप निर्धारित तिथि तक संग्रहित करेगी तथा मण्डी फीस का ऐसा भाग, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, संबंधित मण्डी समिति को प्रतिमाह 15 तारीख से पूर्व संदत्त करेगी। लगातार तीन माह तक संग्रहित शुल्क जमा न कराने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर मण्डी परिसर की सम्पति जब्त कर बकाया की वसूली की जायेगी।

13.प्रवर्तक अनुज्ञापत्रधारी फर्म द्वारा निजी उप मंडी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारियों/व्यापारियों से संग्रहित शुल्क मण्डी कोष में प्रतिमाह की 15 तारीख तक जमा न कराने पर विलम्बित अवधि के लिये 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का अतिरिक्त भुगतान संबंधित मण्डी समिति को 03 माह तक किया जा सकेगा।

14.प्रवर्तक फर्म द्वारा निजी उप मण्डी यार्ड कि क्रेता/लीज होल्डर/किरायेदार फर्म के साथ किये जाने वाला करार पत्र/विक्रय विलेख/लीजडीड आदि का मॉडल प्रारूप मण्डी समिति के माध्यम से अनुमोदन हेतु निदेशक को भिजवाकर अनुमोदित कराना होगा।

15.निजी उपमण्डी यार्ड में आवंटियों द्वारा अधिनियम की धारा 5–क में निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही नियमित मण्डी यार्ड की भांति व्यवसाय ही किया जा सकेगा एवं इसके लिए उन्हें सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति से समुचित अनुज्ञापत्र लेना आवश्यक होगा।

16.आवंटी को स्थानीय निकाय/अन्य संबंधित संस्था/प्रवर्तक द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टा विलेख/लीज डीड में यह प्रावधान करवाया जाना अनिवार्य होगा कि यार्ड में किसी भी दशा में अनुज्ञप्त कृषि जिन्सों तथा कृषक/सहायक व्यापार संबंधी व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य गतिविधि नहीं की जा सकेगी।

17.निजी उपमण्डी यार्ड के अनुज्ञापत्रधारी को निजी उपमण्डी यार्ड में काम करने वाले विभिन्न विपणन कार्यकर्ताओं (मार्केट फंक्शनरीज) को विधि अनुरूप मान्य संस्था में पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना होगा, उनका रिकार्ड रखना होगा तथा सम्बन्धित मण्डी समिति को मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

18.निजी उपमण्डी यार्ड में काम करने वाले विभिन्न विपणन कार्यकर्ताओं (मार्केट फंक्शनरीज) को कृषकों एवं व्यापारियों द्वारा चुकाये जाने वाले खर्चो को निर्धारित कर मण्डी समिति को सूचित करना होगा। इन खर्चो की राशि किसी भी दशा में मुख्य मण्डी यार्ड के लिये निदेशक द्वारा अनुमोदित खर्चो से अधिक नहीं होगी।

19.निजी उपमण्डी यार्ड के अनुज्ञापत्रधारी को निजी उपमण्डी यार्ड के आवंटी फर्मो के नाम, यार्ड में उनके व्यापार स्थल का पता तथा पट्टा विलेख/लीज डीड/पंजीयन दस्तावेज, किरायेनामा की प्रति मय मानचित्र के, प्रवर्तक द्वारा प्रमाणित प्रति इत्यादि की सूचना विक्रय/आवंटन के सात दिवस में संबंधित मण्डी समिति को देनी होगी।

20.निदेशक कृषि विपणन को प्रेषित/प्रस्तुत किये जाने वाले निर्धारित सभी दस्तावेजों की एक प्रति संबंधित मण्डी समिति को अनिवार्य रूप से तत्समय ही प्रस्तुत करनी होगी।

21.विपणन कार्यकर्ताओं (मार्केट फंक्शनरीज) को कृषकों एवं व्यापारियों द्वारा चुकाये जाने वाले खर्चो का विवरण यार्ड के कार्यालय एवं स्पष्ट प्रदर्शित सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित करना होगा।

22.भावों की सूचना, सूचना पट्ट/इलेक्ट्रोनिक डिसप्ले पर प्रतिदिन प्रदर्शित करनी होगी एवं मुख्य मण्डी को भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया (आधिकारिक ई-मेल पते पर) से कार्यदिवस की समाप्ति पर प्रतिदिन अनिवार्यतः प्रेषित करनी होगी।

23.कृषकों एवं व्यापारियों के मध्य लेन-देन का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका प्रथमतः स्वयं के स्तर पर निस्तारण करना होगा एवं विवाद रहने पर सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की लिखित रिपोर्ट मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटारे हेतु आगामी दिवस तक आवश्यक रूप से सचिव को प्रेषित करनी होगी।

24. निजी उपमण्डी यार्ड में चेकपोस्ट पर आवक जावक पंजिका का संधारण, नीलामी व्यवस्था व रजिस्टर का संधारण प्रवर्तक द्वारा स्वयं के खर्चे पर रखे गये उपयुक्त योग्यता के व्यक्तियों द्वारा किया जावेगा एवं नियंत्रक मुख्य मण्डी द्वारा सभी व्यवस्था के नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने हेतु कम से कम एक कर्मचारी को निजी उप मण्डी यार्ड में आवश्यक रूप से पदस्थापित किया जावेगा।

25.निजी उपमण्डी यार्ड में विक्रय होने वाली समस्त कृषि जिन्सों की भर्ती 50 किलो के कट्टो/बोरियों में ही की जावेगी तथा उनका तौल इलेक्ट्रोनिक तौल कांटों से ही किया जावेगा।

26.निजी उपमण्डी यार्ड से बाहर जाने वाले समस्त विक्रित कृषि जिन्सों की तुलाई यार्ड में स्थापित धर्मकांटे पर करवाया जाना आवश्यक होगा एवं उसकी तौल पर्ची की एक प्रति गेट पास के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

27.निजी उपमण्डी यार्ड प्रवर्तक को मण्डी यार्ड से बाहर जाने वाले समस्त कृषि जिन्सों के वाहन की धर्मकांटे पर तुलाई का रिकार्ड रखना होगा एवं सचिव मण्डी समिति या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी उसकी समय-समय पर जांच कर सकेगा।

28.निजी उपमण्डी यार्ड में कृषकों द्वारा लाई जाने वाली समस्त जिन्सों का भाव खुली नीलामी द्वारा तय किया जावेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

29.निजी उपमण्डी यार्ड में लाई जाने वाली समस्त कृषि जिन्सों का विक्रय उनकी क्लिनिंग एवं ग्रेडिंग के पश्चात ही किया जावेगा।

30.विक्रय पर्ची, मासिक मण्डी शुल्क विवरण, अमानत पट्टी, पीड बही आदि की छपाई संबंधित मण्डी समिति द्वारा की जाऐगी जिन पर निजी मण्डी यार्ड का नाम अंकित होगा। यह सामग्री लागत मूल्य पर प्रवर्तक को दी जायेगी, जिसे वह निजी मण्डी यार्ड के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों को देगा और उनके रिकार्ड का संधारण करेगा।

31.निजी मण्डी यार्ड में कार्य करने वाले व्यापारियों को संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति से नियमानुसार औपचारिकताऐं पूरी कर समुचित अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा । अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन पत्र निजी मण्डी यार्ड में स्थित मण्डी समिति के कार्यालय में या यार्ड में स्थित प्रवर्तक के कार्यालय के माध्यम से मण्डी समिति को प्रेषित किये जा सकते है।